प्रेषक,

**वित्त नियन्त्रक,**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

**मुख्य पशु चिकित्साधिकारी**,पशुपालन विभाग,
आगरा/रामपुर/कानपुर-नगर/कानपुर-देहात/फर्रूखाबाद/कन्नौज/इटावा/औरैया/झाँसी/जालौन/ललितपुर/बाँदा/महोबा/हमीरपुर/चित्रकूट/फतेहपुर/कौशाम्बी/रायबरेली/उन्नाव/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/महराजगंज/मिर्जापुर/सोनभद्र ।

संख्या- /बजट/29(5)/अनु0-11/01/2018-19

दिनांक : 27/12/2018

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का आँवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1143/12-3-2018-100(5)/2018, दिनांक 14-11-2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत (Additional Fodder Development Programme (AFDP) ) के अन्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में रू0 2250000.00 (रूपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-276/चारा/।।।एफ(417)/2018-19, दिनांक 27-12-2018 द्वारा दिये गये आदेश के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु **Alloment Grid Report** के अनुसार उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको आँवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।

(1) आँवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आँवटित धनराशि का व्यय किया जायेगा ।

(2) आँवटित की जा रही धनराशि का आँवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।केन्द्र पोषित,बाह्य सहयातित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान(गैरवेतन) दिया जाना है।ऐसी सभी योजनाओं/कार्यकमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0सं0-3497/123-2012-100(70)/2012,दि0 7-11-2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

(3) आँवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये।यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडलअधिकारी को उपलब्ध कराया जाया। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिर्पोट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक,पशुपालन विभाग,उ0प्र0द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो ।

(5) आँवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग,कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तक सम्भव हो,व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तकाल आवश्यकता होने पर ही किया जाय आँवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) ऑवटित की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डडर्स ऑफ फाइनेंन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(7) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11,दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे केडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी.बी.टी.,दिनांक 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.)के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑवटित धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

(8) आहरण वितरण अधिकारी ऑवटित धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइड पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय ।

(9) उक्त ऑवटित धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0205-पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

(11) ऑवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन पंजिका के कम संख्या-01 (अनुदान-11) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 1164 /बजट/29(5)/अनु0-11/01/2018-19 तद्दिनांक ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, आगरा/रामपुर/कानपुर-नगर/कानपुर-देहात/फर्रूखाबाद/कन्नौज/इटावा/औरैया/झाँसी/जालौन/बाँदा/ललितपुर/महोबा/हमीरपुर/चित्रकूट/फतेहपुर/कौशाम्बी/रायबरेली/उन्नाव/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/महराजगंज/मिर्जापुर/सोनभद्र ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग,उ0प्र0,इलाहाबाद ।

(3) अनुसचिव,कृषि अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ ।

(4) अनुसचिव,पशुधन अनुभाग-2,उ0प्र0शासन,सचिवालय,लखनऊ ।

(5) निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

(6) योजनाधिकारी अपर निदेशक(गो0वि0)/नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,मुख्यालय को निदेशक,प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-276/चारा/।।।एफ(417)/2018-19,दिनांक 27-12-2018 के कम में इस आशय से प्रेषित कि ऑवटित धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ, कृषि भवन,लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।

(9) कम्प्यूटर आपरेटर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीडिंग करने का कष्ट करें ।

(10) व्यय सहायक,बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक।

# Print Report

## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2018-2019**
**आवंटन दिनांक-27/12/2018**

**प्रेषण संख्या:-** 1164
**आवंटन आदेश संख्या:-** 007-29-5-ANU-11-01-2018-19
**अनुदान संख्या:-** 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)
05 - पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 27-सब्सिडी | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 326750<br>326750 | 326750<br>326750 |
| 2 | रामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 178500<br>178500 | 178500<br>178500 |
| 3 | फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 119500<br>119500 | 119500<br>119500 |
| 4 | इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 5 | कानपुर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 149250<br>149250 | 149250<br>149250 |
| 6 | फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 179250<br>179250 | 179250<br>179250 |
| 7 | झाँसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 8 | जालौन-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 9 | हमीरपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 10 | बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 11 | मिर्ज़ापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 12 | देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 13 | उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 149250<br>149250 | 149250<br>149250 |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 27-सब्सिडी | योग |
|---|---|---|---|---|
| 14 | रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 119500<br>119500 | 119500<br>119500 |
| 15 | ललितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 16 | कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 119500<br>119500 | 119500<br>119500 |
| 17 | सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 18 | सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 19 | महाराजगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 89750<br>89750 | 89750<br>89750 |
| 20 | महोबा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 21 | औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 22 | कौशाम्बी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 23 | कन्नौज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 60500<br>60500 | 60500<br>60500 |
| 24 | चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 30750<br>30750 | 30750<br>30750 |
| 25 | अमेठी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | वर्तमान<br>प्रगामी | 89750<br>89750 | 89750<br>89750 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 2250000<br>2250000 | 2250000<br>2250000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस लाख पचास हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस लाख पचास हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
**वित्त नियंत्रक**